






प्राथमिक अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

नं०- 4/2020

तारीखरजु- 10/1/20

उपनाम:- रामखिलाडी बनाम कालूराम वगैरे R.C.M.S-2020/00005

प्रार्थना पत्र इजराय हाजा अन्तर्गत आदेश 21 नियम 32 धारा 151 जा0दी0

नांक	फर्द अहकाम
	<p>प्रार्थी की ओर से श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र इजराय हाजा अन्तर्गत आदेश 21 नियम 32 धारा 151 जा0दी0के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। इजराय दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार टोडाभीम एवं थानाधिकारी टोडाभीम के माध्यम से डिक्ली की पालना कराई जावे। तहसीलदार टोडाभीम एवं थानाधिकारी टोडाभीम को तहरीरी जारी होकर पत्रावली दिनांक 24.01.2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली </p>
24.1.20	<p>वकील डिक्ली (उप०) पालना रिपोर्ट अर्पण की बन्तजा पालना रिपोर्ट दिनांक 13.2.20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  </p>
13.2.20	<p>वकील डिक्ली (उप०) बन्तजा पालना रिपोर्ट दिनांक 20.3.20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  </p>
20.3.20	<p>पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगित रखा गया है। गलानुसार दिनांक 24.4.20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  </p>
19.8.20	<p>पत्रावली पेश हुई। लाफ डाउन व वार के कार्य स्थगित के कारण जनरल तारीख पेशी से तहसीलदार टोडाभीम की रिपोर्ट प्राप्त होने पर तलब की गई। तहसीलदार टोडाभीम की रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकार की विचारित आराजीयात मुकदमा पूर्व की स्थिति में प्रथम अदालत के आदेश से दर्ज हो चुकी है। इजराय की पालना संभव नहीं है वकील डिक्ली उपस्थित। उक्त दायरा करवाया गया। तहसीलदार टोडाभीम की रिपोर्ट के आधार पर डिक्ली निर्णय रूपास्त हो जाने के कारण</p> <p style="text-align: center;">  </p>

230-231
10/1/20

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

दिनांक _____ फर्द अहकाम

इजराय खारिज की जाती है पत्रावली फेंकल
 नुमार होकर नुमार से कम होना दाखिल इफ्त
 हो।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
 उपसहय अधिकारी टोडाभीम
 जिला-करौली